

**अनुसूची-सात
(नियम 13(3) देखिए)**

मध्यप्रदेश शासन
विधिक मापविज्ञान नियंत्रक कार्यालय
सत्यापन प्रमाण पत्र

विधिक मापविज्ञान अधिकारी का नामकमांक

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आज परिक्षेत्र के निवासी
.....के, नीचे वर्णित बांटों, मापों आदि को सत्यापित और स्टाम्पित / नामंजूर कर दिया है.

| मात्रा | अभिधान | | तौल के उपकरण / माप के उपकरण | | | | सत्यापन फीस रु. पैसे | वहन, प्रवहन संयोजन प्रभार आदि |
|--------|--------|-----|-----------------------------|------|------------|--------|-------------------------|-------------------------------|
| | बांट | माप | क्षमता | वर्ग | विनिर्माता | प्रकार | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |

खजाना रसीद/धन रसीद कमांक..... दिनांक के
माध्यम से कुल रु. जमा किए गए.
मरम्मत की गई/उपयोग किया गया ।

..... (हस्ताक्षर)

अगला सत्यापन शोध्य

.....
विधिक मापविज्ञान अधिकारी

टिप्पणी :- अस्वीकृत बांटों और मापों आदि के मामले में विधिक मापविज्ञान अधिकारी प्रत्येक मद के सामने नामंजूर करने के कारणों को उल्लिखित करते हुए नामंजूर करने का पृथक् प्रमाण-पत्र देगा ।

**अनुसूची-आठ
(नियम 12(1) तथा 15(1) देखिये)**

बांटों तथा मापों और बांट तथा माप के उपकरणों के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए देय फीस :-

(1) बांट :

(क) बुलियन बांट

| अभिधान | फीस प्रतिनग (रू. पै.) |
|--------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 10 किग्रा | 30.00 |
| 5 किग्रा | 20.00 |
| 2 किग्रा | 20.00 |
| 1 किग्रा | 20.00 |
| 500 ग्राम | 15.00 |
| 200 ग्राम | 15.00 |
| 100 ग्राम | 15.00 |
| 50 ग्राम | 15.00 |
| 20 ग्राम | 15.00 |
| 10 ग्राम | 15.00 |
| 5 ग्राम | 15.00 |
| 2 ग्राम | 15.00 |
| 1 ग्राम | 15.00 |
| 500 मि.ग्रा. | 15.00 |
| 200 मि.ग्रा. | 15.00 |
| 100 मि.ग्रा. | 15.00 |
| 50 मि.ग्रा. | 15.00 |
| 20 मि.ग्रा. | 15.00 |
| 10 मि.ग्रा. | 15.00 |
| 5 मि.ग्रा. | 15.00 |
| 2 मि.ग्रा. | 15.00 |
| 1 मि.ग्रा. | 15.00 |

(ख) कैरेट बाट :

| अभिधान | फीस प्रतिनग (रू. पै.) |
|----------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 500 कैरेट (100ग्रा.) | 20.00 |
| 200 कैरेट (40ग्रा.) | 20.00 |
| 100 कैरेट (20ग्रा.) | 20.00 |

| | |
|-------------------------|-------|
| 50 कैरेट (10ग्रा.) | 20.00 |
| 20 कैरेट (4ग्रा.) | 20.00 |
| 10 कैरेट (2ग्रा.) | 20.00 |
| 5 कैरेट (1ग्रा.) | 20.00 |
| 2 कैरेट (400मि.ग्रा.) | 20.00 |
| 1 कैरेट (200मि.ग्रा.) | 20.00 |
| 0.5 कैरेट (100मि.ग्रा.) | 20.00 |
| 0.2 कैरेट (40मि.ग्रा.) | 20.00 |
| 0.1 कैरेट (20मि.ग्रा.) | 20.00 |
| 0.05 कैरेट (10मि.ग्रा.) | 20.00 |
| 0.02 कैरेट (4मि.ग्रा.) | 20.00 |
| 0.01 कैरेट (2मि.ग्रा.) | 20.00 |
| 0.005 कैरेट (1मि.ग्रा.) | 20.00 |

(ग) बेलनाकार घुण्डीवाले बांट :

| अभिधान | फीस प्रतिनग (रू. पै.) |
|-------------|--------------------------|
| 10 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 5 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 2 कि.ग्रा. | 15.00 |
| 1 कि.ग्रा. | 10.00 |
| 500 ग्राम | 5.00 |
| 200 ग्राम | 5.00 |
| 100 ग्राम | 5.00 |
| 50 ग्राम | 5.00 |
| 20 ग्राम | 5.00 |
| 10 ग्राम | 5.00 |
| 5 ग्राम | 5.00 |
| 2 ग्राम | 5.00 |
| 1 ग्राम | 5.00 |

(घ) चादर धातु बांट :

| | |
|--------------|------|
| 500 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 200 मि.ग्रा. | 5.00 |

| | |
|--------------|------|
| 100 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 50 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 20 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 10 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 5 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 2 मि.ग्रा. | 5.00 |
| 1 मि.ग्रा. | 5.00 |

(ड.) लौह हैक्सागोनल, नौब टाइप बांट तथा समानांतर पाईप वाले बांट :

| अभिधान | फीस प्रतिनग (रु. पै.) |
|-------------|--------------------------|
| 50 कि.ग्रा. | 25.00 |
| 20 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 10 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 5 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 2 कि.ग्रा. | 15.00 |
| 1 कि.ग्रा. | 10.00 |
| 500 ग्राम | 5.00 |
| 200 ग्राम | 5.00 |
| 100 ग्राम | 5.00 |
| 50 ग्राम | 5.00 |
| 20 ग्राम | 5.00 |
| 10 ग्राम | 5.00 |
| 5 ग्राम | 5.00 |
| 2 ग्राम | 5.00 |
| 1 ग्राम | 5.00 |

(च) उच्च क्षमता वाली तौल मशीनों के परीक्षण हेतु मानक बांट :

अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि संबंधित तत्स्थानी फीस:

| अभिधान | 0.5 / 10000 | 3.3 / 10000, 1.7 / 10000, 1.0 / 10000 |
|--------------|--------------|--|
| | 100 कि.ग्रा. | 75.00 |
| 200 कि.ग्रा. | 150.00 | 100.00 |
| 500 कि.ग्रा. | 300.00 | 200.00 |

| | | |
|---------------|---------|---------|
| 1000 कि.ग्रा. | 750.00 | 500.00 |
| 2000 कि.ग्रा. | 1500.00 | 1000.00 |
| 5000 कि.ग्रा. | 3000.00 | 2000.00 |

(2) क्षमता माप, प्रूविंग माप एवं यान टैंक को सम्मिलित करते हुए :

| अभिधान | फीस प्रतिनग (रू. पै.) |
|------------------|--|
| 100 लीटर और अधिक | पहले 100 लीटर के लिये 50 रूपये, और 7 रूपये प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए |
| 50 लीटर | 50.00 |
| 20 लीटर | 20.00 |
| 10 लीटर | 20.00 |
| 5 लीटर | 10.00 |
| 2 लीटर | 10.00 |
| 1 लीटर | 10.00 |
| 500 मि.ली. | 10.00 |
| 200 मि.ली. | 10.00 |
| 100 मि.ली. | 10.00 |
| 50 मि.ली. | 10.00 |
| 20 मि.ली. | 10.00 |
| 10 मि.ली. | 10.00 |
| 5 मि.ली. | 10.00 |
| 2 मि.ली. | 10.00 |
| 1 मि.ली. | 10.00 |

(3) लम्बाई माप :

(क) अनम्य

| अभिधान | फीस प्रतिनग (रू. पै.) |
|----------|--------------------------|
| 2 मीटर | 20.00 |
| 1 मीटर | 15.00 |
| 0.5 मीटर | 10.00 |

1.00 मीटर 25.00
(प्रत्येक से.मी. पर मापांकित)

0.5 मीटर 20.00
(प्रत्येक से.मी. पर मापांकित)

(ख) फेब्रिक प्लास्टिक / बुना हुआ / इस्पात फीता —

वर्ग तीन रू. 10.00/मीटर

वर्ग दो रू. 15.00/मीटर

वर्ग एक रू. 25.00/मीटर

(ग) फोल्डिंग स्केल्स :

| अभिधान | फीस प्रतिनग (रू. पै.) |
|----------|--------------------------|
| 1 मीटर | 15.00 |
| 0.5 मीटर | 10.00 |

(घ) सर्वेक्षण चैन :

| अभिधान | फीस प्रतिनग (रू. पै.) |
|---------|--------------------------|
| 30 मीटर | 100.00 |
| 20 मीटर | 100.00 |

(4) डण्डी वाली तराजू (वर्ग क और ख) :

| अभिधान | फीस प्रतिनग (रू. पै.) |
|----------------------|--------------------------|
| 200 कि.ग्रा. | 400.00 |
| 100 कि.ग्रा. | 300.00 |
| 50 कि.ग्रा. | 150.00 |
| 20 कि.ग्रा. | 150.00 |
| 10 कि.ग्रा. | 150.00 |
| 5 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 2 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 1 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 500 ग्राम और उससे कम | 60.00 |

(5) डण्डी वाली तराजू (वर्ग ग और घ) :

| अभिधान | फीस प्रतिनग (रू. पै.) |
|----------------------|--------------------------|
| 1000 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 500 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 300 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 200 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 100 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 50 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 20 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 10 कि.ग्रा. | 20.00 |
| 5 कि.ग्रा. | 15.00 |
| 2 कि.ग्रा. | 15.00 |
| 1 कि.ग्रा. | 15.00 |
| 500 ग्राम और उससे कम | 10.00 |

(6) गैर स्वचालित तौल उपकरण यांत्रिक (एनेलाग इंडिकेशन)
साधारण एवं मध्यम यथार्थता वाली श्रेणी चार तथा तीन से संबंधित :

| अभिधान | फीस प्रतिनग (रू. पै.) |
|--------|--------------------------|
| 400 टन | 4000.00 |
| 300 टन | 3000.00 |
| 200 टन | 3000.00 |
| 150 टन | 2000.00 |
| 100 टन | 2000.00 |
| 80 टन | 2000.00 |
| 60 टन | 2000.00 |
| 50 टन | 2000.00 |
| 40 टन | 2000.00 |
| 30 टन | 2000.00 |
| 25 टन | 2000.00 |
| 20 टन | 2000.00 |
| 15 टन | 2000.00 |
| 10 टन | 1000.00 |
| 5 टन | 500.00 |
| 3 टन | 400.00 |

| | |
|------------------------|--------|
| 2 टन | 400.00 |
| 1500 कि.ग्रा. | 300.00 |
| 1000 कि.ग्रा. | 300.00 |
| 500 कि.ग्रा. | 300.00 |
| 300 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 250 कि.ग्रा. | 200.00 |
| 200 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 150 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 100 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 50 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 30 कि.ग्रा. | 100.00 |
| 25 कि.ग्रा. | 60.00 |
| 20 कि.ग्रा. | 60.00 |
| 15 कि.ग्रा. | 30.00 |
| 10 कि.ग्रा. | 30.00 |
| 5 कि.ग्रा. | 30.00 |
| 3 कि.ग्रा. | 30.00 |
| 2 कि.ग्रा. | 30.00 |
| 1 कि.ग्रा. | 15.00 |
| 500 ग्राम और उसके नीचे | 15.00 |

(7) मध्यम एवं सामान्य यथार्थता वाले वर्ग तीन तथा चार के गैर स्वचालित तौल उपकरण इलेक्ट्रॉनिक :

| अभिधान | फीस प्रतिनग (रू. पै.) |
|--------|--------------------------|
| 400 टन | 4000.00 |
| 300 टन | 3000.00 |
| 200 टन | 3000.00 |
| 150 टन | 2000.00 |
| 100 टन | 2000.00 |
| 80 टन | 2000.00 |
| 60 टन | 2000.00 |
| 50 टन | 2000.00 |
| 40 टन | 2000.00 |
| 30 टन | 2000.00 |

| | |
|----------------------|---------|
| 25 टन | 2000.00 |
| 20 टन | 2000.00 |
| 15 टन | 2000.00 |
| 10 टन | 1000.00 |
| 5 टन | 1000.00 |
| 3 टन | 500.00 |
| 2 टन | 500.00 |
| 1500 किग्रा | 250.00 |
| 1000 किग्रा | 250.00 |
| 500 किग्रा | 250.00 |
| 300 किग्रा | 200.00 |
| 250 किग्रा | 200.00 |
| 200 किग्रा | 200.00 |
| 150 किग्रा | 200.00 |
| 100 किग्रा | 200.00 |
| 50 किग्रा | 200.00 |
| 30 किग्रा | 200.00 |
| 25 किग्रा | 200.00 |
| 20 किग्रा | 100.00 |
| 15 किग्रा | 100.00 |
| 10 किग्रा | 100.00 |
| 5 किग्रा | 100.00 |
| 3 किग्रा | 100.00 |
| 2 किग्रा | 100.00 |
| 1 किग्रा | 100.00 |
| 500 ग्राम और उससे कम | 100.00 |

(8) यांत्रिक तथा इलेक्ट्रानिक दोनों के उच्च यथार्थता वाले वर्ग दो के और विशेष यथार्थता वाले वर्ग एक के तौल उपकरण :

| अभिधान | फीस (रु. पै.) |
|-------------------------------------|------------------|
| 50 टन से अधिक | 3000.00 |
| 50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक | 2000.00 |
| 10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक | 1000.00 |

| | |
|---|--------|
| 1 टन से अनधिक किन्तु 50 किग्रा से अधिक | 500.00 |
| 50 किग्रा से अनधिक किन्तु 10 किग्रा से अधिक | 250.00 |
| 10 किग्रा से अनधिक | 200.00 |

(9) स्वचालित तौल मशीन :

| अभिधान | फीस (रु. पै.) |
|---|------------------|
| 100 टन से अधिक | 4000.00 |
| 100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक | 3000.00 |
| 50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक | 2000.00 |
| 10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक | 1000.00 |
| 1 टन से अनधिक किन्तु 50 किग्रा से अधिक | 500.00 |
| 50 किग्रा से अनधिक किन्तु 10 किग्रा से अधिक | 250.00 |
| 10 किग्रा से अनधिक | 200.00 |

(10) आयतन मापक उपकरण :

| | |
|---|---------|
| (क) डिसपेंसिंग पम्प प्रत्येक पम्प | 1000.00 |
| (ख) योगकरण काउंटरर्स | 500.00 |
| (ग) अन्य उपकरण पहले 100 लीटर के लिए रु. 500 और प्रत्येक 100 लीटर या उसके भाग के लिए रूपये 250 | |
| 50 लीटर से अधिक किन्तु 100 लीटर से अनधिक | 500.00 |
| 50 लीटर से अनधिक किन्तु 20 लीटर से अधिक | 250.00 |
| 20 लीटर से अनधिक | 200.00 |

(11) फ्लो (प्रवाह) मीटर :

| | |
|------------------------|------------|
| फ्लो -रेट (प्रवाह दर) | |
| 100 लीटर /मिनिट तक | रु. 2000/- |
| 100 लीटर से ऊपर किन्तु | |
| 500 लीटर/मिनिट तक | रु. 3000/- |
| 500 लीटर/मिनिट से अधिक | रु. 5000/- |

(12) रेख्रीय मापक उपकरण :

ऑटो रिक्शा / टैक्सी मीटर

रु. 100/-

अन्य मीटर

रु. 50 पहले 1 किमी या उसके
भाग के लिए और रु. 5/-
प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या

उसके भाग के लिए

(13) डाक्टरी थर्मामीटर :

रु. 5.00 / थर्मामीटर

(14) पानी का मीटर :

रु. 25.00

(15) प्याला मापनी :

30 मिली ली रु. 50.00

60 मिली ली रु. 50.00

100 मिली ली रु. 50.00

(16) सीएनजी आटो फ्यूल पम्प तथा एल

रु.1000.00

पी जी डिस्पेंसर मोटर यान के लिए : (प्रति इकाई)

(17) काउंटर मशीन्स :

(एक) 10 किग्रा क्षमता तक :

रु. 20.00

(दो) 10 किग्रा क्षमता से अधिक :

रु. 50.00

(18) रक्त चाप मापक यंत्र :

रु. 50.00

(19) स्टोरेज टैंक्स एवं वाट्स : 25000 लीटर तक के लिये रु. 5000.00

25000 लीटर से अधिक के लिये रु. 25000.00

अनुसूची-नौ
(नियम 22 (1) देखिये)
अपील का प्ररूप

विधिक मापविज्ञान अधिकारी / नियंत्रक विधिक मापविज्ञान के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए प्ररूप :-

1. अपीलार्थी का नाम और पता
2. विधिक मापविज्ञान अधिकारी / नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान के आदेश का क्रमांक तथा तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई है।
3. क्या अपीलार्थी यह चाहता है कि उसे स्वयं सुना जाए या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उसे सुना जाए
4. अपील के आधार

अनुसूची-दस
(नियम 23 देखिये)
अपराधों के प्रशमन के लिए राशि

| क्रमांक. | धारा एवं अपराध की प्रकृति, दंडिक धारा एवं प्रथम अपराध के लिये दंडिक धारा में प्रावधानित अर्थदण्ड | प्रशमन राशि | |
|----------|---|-------------|--|
| | | (1) | (2) |
| (1) | (2) | (3) * | (4) # |
| 1 | धारा 8 (3) मानक बांट, माप या संख्यांक से भिन्न बांट, माप या संख्यांक का उपयोग करना, दण्डिक धारा 25, अधिकतम रू. 25000 | रू. 100 | (1) बांट या माप के उपयोग हेतु रू. 2500 (2) संख्यांक के उपयोग हेतु रू. 500 |
| 2 | धारा 8 (4) मानक के गैर अनुरूप बांट या माप का निर्माण करना, दण्डिक धारा 27, अधिकतम रू. 20000 | — | (1) बांट/माप के लिये रू. 2500 (2) तौल/माप यंत्र के लिये रू. 5000 |
| 3 | धारा 10 विहित बांट, माप या संख्या से भिन्न द्वारा वस्तु के संबंध में संव्यवहार या सौदा या संविदा करना, दण्डिक धारा 28, अधिकतम रू. 10000 | रू. 100 | रू. 1000 |
| 4 | धारा 11 बांट या माप या संख्यांक की मानक इकाईयों से भिन्न में मूल्य बताना या जारी करना या प्रदर्शित करना आदि, दण्डिक धारा 29, अधिकतम रू.10000 | रू. 100 | रू. 1000 |
| 5 | संविदा या अनुबंध में विनिर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा की मांग करना या किसी वस्तु या चीज को अतिरिक्त में प्राप्त करना दण्डिक धारा 30, अधिकतम रू. 10000 | रू. 100 | रू. 5000 |
| 6 | धारा 17 निर्माता, व्यापारी अथवा मिस्त्री द्वारा अभिलेखों, पंजियों के संधारण तथा मांगे जाने पर अनुपालन करना बांट, माप, दस्तावेज, पंजी की मांग पर प्रस्तुत नहीं करना, दण्डिक धारा 31, अधिकतम रू. 5000 | — | (1) व्यापारी रू. 1000 (2) मिस्त्री रू. 2000 (3) निर्माता रू. 5000 |
| 7 | धारा 18(1) प्री पैकबंद वस्तु के निर्माता/व्यापारी/आयातकर्ता द्वारा अपेक्षा के पालन के संबंध में, दण्डिक धारा 36 (1), अधिकतम रू. 25000 | रू. 100 | (1) व्यापारी रू. 2000 (2) निर्माता/आयातकर्ता रू. 5000 |
| 8 | धारा 18(1) प्री पैकबंद वस्तु के निर्माता/आयातकर्ता द्वारा शुद्ध मात्रा की आवश्यकता के पालन के संबंध में, दण्डिक धारा 36 (2), न्यूनतम रूपये 10000 व अधिकतम रू. 50000 | — | रू. 15000 |
| 9 | धारा 23 बांट या माप का अनुज्ञप्ति सहित ही निर्माण दण्डिक धारा 45 अधिकतम रू. 20000 | — | रू. 5000 |